न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—79/2015

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मोरमल पुत्र रहमान जाति मेव निवासी गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..................अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. शौकीन पुत्र अजमत खां जाति मेव निवासी वार्ड नं0 01 गोविन्दगढ़ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.... रेस्पो0/वादी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ अलवर राज0 बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

.... रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी

उपस्थित :—
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री भरत जैन अभिभाषक रेस्पो0सं0 1

::: निर्णय :::

दिनांक :—09.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 503 रकबा 5 बीधा 16 बिस्वा ग्राम गोविन्दगढ़ के 1/2 भाग का खातेदार अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1 है तथा शेष 1/2 भाग की खातेदारी मु0 सुनरी बेवा रहमान मेव थी जो दिनांक 29.04.2004 को फौत हो गयी । प्रतिवादी नं0 1 सुनरी का प्राकृतिक लड़का नहीं बल्कि रहमान मेव ने गोद लिया था । रहमान के मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 ने 1998 में सुनरी को मारपीट कर घर से भगा दिया था एवं सुनरी सायल के पास रहने लगी थी जो सायल के पिता की सगी बुआ थी । प्रतिवादी नं0 1 ने विवादित आराजी को हड़पने की नियत से 7.6.99 को हाजा न्यायालय में सुनरी के विरूद्ध तकसीम का दावा किया था जिसे 7.3.2000 को अदम हाजरी में खारिज करवा लिया तथा जब सुनरी ने अपना हिस्सा बय करना चाहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने पुनः दावा पेश कर स्टे ले लिया । दावे में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी लेकिन

9.11.17

उक्त प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील कर दी । दो बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नं0 1 ने लगाया अर्थात प्रतिवादी नं0 1 जानबूझकर विवादित आराजी का विभाजन नहीं होने देना चाहता और केस को लम्बा करता चला आ रहा है । सुनरी ने वादी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर एक वसीयुत दि0 6.10.2003 को वादी के हक में तस्दीक करायी । प्रतिवादी नं0 1 ने भी चालाकी से सुनरी के फौत हो जाने के बाद दि0 8.4.2004 को एक फर्जी स्टाम्प खरीदा जिस पर ना तो टाईपकर्ता के हस्ताक्षर हैं जिसके विरूद्ध थाना गोविन्दगढ़ में जरिये इस्तगासा एफ.आई.आर. दर्ज करायी । उक्त फर्जी वसीयत की आड में प्रतिवादी नं0 1 वादी को विवादित आराजी का खातेदार नहीं मानता । इसलिए विवादित आराजी के 1/2 भाग की खातेदारी घोषित करने एवं तकसीम की इस्तदुआ की । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की बहस सुनकर वादी का वाद दि0 14.09.2015 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 14.09.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि शौकीन ने तहत न्यायालय में 1/2 भाग के विभाजन का दावा किया था । दावे में यह जमीन सुनरी की 1/2 भाग की थी और 1/2 भाग में मोरमल की खातेदारी थी । मोरमल रहमान का दत्तक पुत्र है तथा सुनरी रहमान की पत्नी है । शौकीन रहमान का प्राकृतिक लड़का नहीं है तथा रहमान सुनरी का पति है । रहमान के मरने के बाद 1998 में सुनरी को मारपीट कर घर से भगा दिया तथा 1998 से मरने तक सुनरी मेरे पास अर्थात शौकीन के पास रही है । वादी का कथन रहा है कि 1996 को रजिस्टर्ड वसीयत करा दी । इस आधार पर 1/2 भाग का खातेदार घोषित कराने का दावा किया । इसके अलावा दावे में ये भी वादी का कथन रहा है कि मोरमल से पहले भी जमीन हड़पने के लिए फर्जी वसीयत की थी जिसका मुकदमा पुलिस में चला । अपीलांट/प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया और कहा कि इस जमीन पर मेरा पूर्ण कब्जा है तथा शौकीन वादी का कोई कब्जा नहीं है । इसके अलावा जवाब में यह भी कहा कि मैं इसका वारिस हूं । विवादित आराजी मेरे कब्जे में है तथा पूरी आराजी का खातेदार हूं । उज्रदराज में मैंने यह भी कहा कि वसीयत के आधार पर सिविल कोर्ट तय करेगी कि विवादित आराजी में किसका हक है । दावे पेश होने के उपरान्त दावे में तनकीयात कायम होती है । दि0 9.6.2010 को अपीलांट का दावा अदम हाजरी में खारिज हुआ तथा इनका दावा चलता रहा ।

उन्होंने आगे कथन किया कि जब मेरा दावा तनकीयात में चल रहा है तो दि0 9.6.2010 को साक्ष्य में कैसे आ गया । सी.पी.सी. के प्रावधानुसार पहले तनकीयात बनती फिर साक्ष्य वादी में दावा आता । दि0 9.6.2010 को दावे में इकतरफा कार्यवाही नहीं की और दि0 20.10.2010 को भी मेरी हाजरी दर्ज कर उभयपक्ष उपस्थित है अंकित किया गया । दि0 25.1.2012 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है तथा 2011 में वादी का शपथपत्र लिया गया तथा मुझे जिरह का भी मौका नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने

9.11.17

अपने निर्णय में वसीयत के आधार पर वसीयत सही होना मानकर दावा डिक्री कर एक लाईन में अंकित कर दिया । उन्होंने आगे बताया कि रेस्पो0 शाकीन ने स्वीकार किया है कि अपीलांट मोरमल रहमान का दत्तक पुत्र है और सुनरी रहमान की पत्नी है । अतः अपीलांट मोरमल सुनरी का दत्तक पुत्र हो गया ।

उन्होंने बहस में आगे निवेदन किया कि वसीयत को सिद्ध कैसे किया जायेगा । वसीयत के उपर दो गवाह होते हैं, उन्हें अदालत में आकर गवाह देनी होती है तथा उनके बयानों से वसीयत सिद्ध होती है नहीं तो वसीयत सिद्ध नहीं होगी ।

अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि ना तो दस्तावेजी साक्ष्य ली गई और ना ही गवाही हुई । इसके आधार पर वाद का निर्णय केवल सिविल न्यायालय ही तय करेगी । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण व गलत है । अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया । अपीलांट अभिभाषक ने मुस्लिम पर्सनल ला के आधार पर वसीयत को गलत बताया तथा उत्तराधिकार नियमों की अवहेलना का हवाला दिया ।

उन्होंने अपने समर्थन में 2009–10 आर.आर.टी. पेज 61, 1995 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 114, 17, 2015 डी.एन.जे. पेज 419, ए.आई.आर. 1994 पेज 111 एवं 1992 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 373 प्रस्तुत किये ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 ने जाहिर किया कि अपीलांट ने मैरिट पर बहस नहीं की है । सुनरी अपने हिस्से की आराजी को कहीं भी वसीयत कर सकती है । रहमान की मौत के बाद सुनरी को मारपीट कर निकाल दिया । शौकीन रेस्पो0 ने सुनरी की सेवा सुश्रुषा की थी । मोरमल ने तहत न्यायालय में तकसीम का दावा किया था । तकसीम उद्देश्य नहीं था, केवल सुनरी को वसीयत, रजिस्ट्री, बेचान से रोकना था । अपीलांट ने पूर्व में विभाजन का दावा डिक्री भी करवा लिया और माननीय न्यायालय में अपीलांट ने अपील भी कर दी ।

उन्होंने आगे कथन किया कि एक्सपार्टी में तनकीयात की आवश्यकता नहीं है । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हुए थे । जहां प्रतिवादी अनुपस्थित है या एक्सपार्टी हो गयी तो भी आगामी स्टेज पर वो आगे उपस्थित हो सकते हैं । तनकीयात नहीं बनाना कोई डिफेक्ट नहीं है, मैरिट पर निर्णय डिक्री किया गया है । सम्वत् 2060–63 की जमाबन्दी का अवलोकन करें जिसमें मोरमल 1/2 व सुनरी 1/2 भाग है । इससे सुनरी को वसीयत करने का अधिकार है । अपीलांट ने फर्जी वसीयत पूर्व दिनांक में करवायी जिसकी हमने एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है जो पुलिस थाने में लम्बित है । एक्सपार्टी के बाद अंतिम तारीख में उपस्थित हो सकते हैं । मेरी वसीयत के विरूद्धकोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है तो इस तथ्य को मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय व डिक्री पारित की है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

उन्होंने अपने समर्थन में सैक्शन 59 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, सैक्शन 227 आर.टी.एक्ट, डी.एन.जे. 2000–01 पेज 245 एवं 1967 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 353 प्रस्तुत की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों तथा वसीयत का अवलोकन करते हुए पारित निर्णय दि0 14.9.2015 को अवलोकन किया गया । अपीलांट की अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण

9.11.17

की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्षों द्वारा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया ।

प्रकरण में निर्णय के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से पाये जाते हैं जिनका उल्लेख किये बिना निर्णय पूर्ण नहीं हो सकता है –

1. मोरमल रहमान का दत्तक पुत्र है या नहीं । यदि है तो क्या सुनरी की सम्पति में जो उनके पिता की पत्नी थी या रही है, कि सम्पति में मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार विरासतन अधिकार रहेगा या नहीं ?

2. द्वितीय सुनरी द्वारा जो वसीयत शौकीन के पक्ष में की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा शौकीन के पक्ष में दि0 14.9.2015 को डिक्री किया है, क्या मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार सुनरी अपनी पूर्ण सम्पति की वसीयत कर सकती है ।

3. तृतीय विभिन्न कानूनी नजीरों के परिप्रेक्ष्य में क्या वसीयत चाहे वह रजिस्टर्ड है या नहीं को गवाहों द्वारा प्रमाणित करवाया जाना चाहिए या नहीं ?

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जवाब बन्द करके क्या सीधे ही उक्त विवेचन के लिए तनकीयात कायम नहीं करवाकर सीधे ही साक्ष्य में लेना उचित था ?

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विवेचन में हम पाते हैं कि उनके द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें उक्त बिन्दुओं के बारे में कोई विवेचन नहीं किया गया है और वसीयत के आधार पर सीधे ही निर्णय करते हुए दावा वादी शौकीन डिक्री कर दिया था ।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा जो कानूनी नजीरें पेश की गई है वो निम्न प्रकार से हैं –

1. आर.आर.टी. 2009–10 पेज 61 (एस.सी.) – साक्ष्य अधिनियम, 1872 क धारा 63 व 68 के प्रावधानों के अनुसार वसीयत को गवाहों से प्रमाणित कराना आवश्यक है । चाहे वसीयत रजिस्टर्ड ही क्यों नहीं हो । आर.एल.डब्ल्यू. 1995 (1) पेज 114 व 17

2. आर.एल.आर. 1992 पेज 372 के प्रावधानों के अनुसार भी मुस्लिम पर्सनल ला के प्रावधान के अनुसार यदि उसके सभी वारिसान उस वसीयत पर सहमति नहीं देते हैं तब तक वह सही नहीं है । पूर्ण सम्पति की वसीयत नहीं की जा सकती है ।

उपरोक्त कानूनी विवेचन के आधार पर अपीलांट अभिभाषक की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है ।

जहां तक रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा जो कानूनी नजीरें पेश की गई है वो अपनी जगह सही है कि रेस्पो0 बावजूद सूचना के वाद विचारण में हिस्सा नहीं लेता है तो न्यायालय अग्रिम कार्यवाही कर सकता है, परन्तु यहां तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही जिन बिन्दुओं का विवेचन किया जाना चाहिए वो नहीं किये गये हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 14.09.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपर दिये गये बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

9.1.17

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर